कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज

अनुमण्डल राजस्व प्रशाखा

–: सैरात बन्दोबस्ती आम सूचना :–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक–331 (9) रा0, पटना, दिनांक–12.05.2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में किशनगंज अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत पड़नेवाले निम्नलिखित हाट बाजार सैरातों की बन्दोबस्ती वर्ष 2018–19 के लिए खुलीडाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में अपराहन 2:00 बजे की जायेगी। प्रथम निर्धारित तिथि को बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में अगली निर्धारित द्वितीय एवं तृतीय तिथि को की जायेगी। निर्धारित तिथियों के पश्चात् यदि आवश्यकता हुआ तो अगले प्रत्येक कार्य दिवस में सैरातों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी।

क्र0	सैरातों का नाम	अंचल का नाम	सुरक्षित जमा राशि	बन्दोबस्त पदाधिकारी	डाक की निर्धारित तिथी प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	हालामाला खड़रोर	किशनगंज	6633.00	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज	05.03.2018	08.03.2018	12.03.2018	प्रत्येक कार्य दिवस
02	आमबाग भेड़ियाडांगी	किशनगंज	7575.00					
03	हड्डी महाल किशनगंज	किशनगंज	6177.00					
04	ओद्रा काली घाट मेला	किशनगंज	7351.00					
05	कद्दुभीठा मेला सह सिनेमा	ठाकुरगंज	8280.00					
06	भंयकर द्वारी घाट	ठाकुरगंज	5095.00					
07	चुरली मेला	ठाकुरगंज	9750.00					
08	रूपादह मेला	ठाकुरगंज	5865.00o					
09	खुनिया भाठा घाट	ठाकुरगंज	6038.00					
10	दुधऔटी घाट	ठाकुरगंज	खुली डाक					
11	हड्डी महाल	बहादुरगंज	9775.00					
12	ओ0पी0 लैण्ड सोन्था	कोचाधामन	9430.00					
13	टेना राजस्व हाट	कोचाधामन	5750.00					
14	मोहरा राजस्व हाट	कोचाधामन	6440.00					
15	भगाल घाट	कोचाधामन	9532.00					
16	पुरन्दाहा घाट	कोचाधामन	5160.00					
17	मंगली हाट	पोठिया	8166.00					
18	धुलाबाड़ी हाट	पोठिया	9200.00					
19	बलदिया हाट	पोठिया	5060.00					
20	खड़खड़ी घाट महानंदा नदी	पोठिया	7705.00					
21	मागुर जान मदनगंज नाव घाट	पोठिया	खुली डाक					
22	खड़खड़ी घाट	पोठिया	5750000					
23	तुलसिया राजस्व हाट	दिघलबैंक	खुली डाक					
24	बच्चा राजस्व हाट	टेढ़ागाछ	8855.00					
25	हाट गॉव घाट	टेढ़ागाछ	8108.00					
26	खड़ी सुहिया खाड़ी	टेढ़ागाछ	7590.00					

6/2/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
किशनगंज।

डाक की शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
2. पुलिस अधीक्षक / थानाध्यक्ष द्वारा जारी आचरण प्रमाण–पत्र (अद्यतन) डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।
3. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला/अनुमण्डल/अंचल/नगर परिषद से बकाया रहित प्रमाण–पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
4. किसी भी हाट /घाट लेसी या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग नहीं लेने दिया जायगा। साथ ही उनके निकट भाई, भतीजा,बेटा को भी डाक में भाग लेने नही दिया जायगा। उपरोक्त राजस्व हाटों की बन्दोवस्ती वर्त्तमान में स्थित राजस्व हाट की जितनी जमीन है जैसी है उसी स्थिति के लिए की जायगी और ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायगी।
5. हाट / घाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट साफ–सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट में किसी राजनीति सभा नही की जायगी।
6. सैरात की जमीन पर किसी भी प्रकार के स्थायी संरचना का निमार्ण नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेदारी होगी।
7. हाट ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली पूर्व निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गई बट्टी रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउण्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा हाट लेसी को ही करनी होगी।
8. बाढ़ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर हाट नहीं लगने पर बन्दोवस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नही होगा।
9. किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजस्व हाट में अस्थाई/स्थाई कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं होने दिया जायगा। इसकी जवाबदेही हाट ठेकेदार/बन्दोवस्तदार की होगी।
10. संक्रमक रोग या महामारी की स्थिति में हाट लेसी की यह विशेष जवाब देही होगी कि वे हाट में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद बिक्री नहीं होने दे। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेगें। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
11. घाट लेसी को 24 घण्टे दो बड़ी नावों को घाटों पर लगानी होगी तथा निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली नही करनी होगी।
12. घाट लेसी को डाक में भाग लेने के समय उनके पास उपलब्ध नाव की क्षमता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अंचल अधिकारी से प्राप्त कर देनी होगी।
13. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बन्दोवस्ती अस्वीकृत रद्द करने अथवा हाट की निलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्तम डाक की राशि एवं मुद्रांक शुल्क/ निबंधन शुल्क डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

ह0/–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक ..110.../अनु0रा0 ,दिनांक 06/02/2018

प्रतिलिपि :–पूर्व बन्दोवस्तदार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–अनुमण्डल नाजीर, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–सभी अंचल अधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सम्बन्धित पंचायत के मुखिया को सूचनार्थ एवं बृहत प्रचारार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, किशनगंज/ जिला मत्यस्य पदाधिकारी, किशनगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज/नगर पंचायत, बहादुरगंज /ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं बृहत प्रचारार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–जिला जन सर्म्पक पदाधिकारी,किशनगंज को सूचनार्थ एवं बृहत प्रचारार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि सू **किशनगंज जिला के बेवसाईड** पर अपलोड करने का कष्ट किया जाय।
प्रतिलिपि :–थानाध्यक्ष, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि डाक की निर्धारित तिथि को पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेगें।
प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, किशगनंज/ उप विकास आयुक्त, किशनगंज/ अपर समाहर्त्ता, किशनगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
किशनगंज।